न्यायालयः–वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, सादुलशहर(श्रीगंगानगर)

....

पीठासीन अधिकारी	–	रेणु सिंगला, आर.जे.एस.
निर्णय दिनांकः–	–	12.05.2022
नंबरी दीवानी प्रकरण सं.	–	08/2013
CIS NO.	–	*92/2014*

1. प्रीतम सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह**(मृतक)**।

   1/1 पाल कौर पत्नी स्व० प्रीतम सिंह।

   1/2 लक्ष्मी देवी पुत्री स्व० प्रीतम सिंह।

   1/3 पूर्ण सिंह पुत्र स्व० प्रीतम सिंह।

   1/4 बीरबल राम पुत्र स्व० प्रीतम सिंह

   (निवासीगण खैरूवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर)

2. कृष्ण सिंह पुत्र जीत सिंह।
3. शेर सिंह पुत्र जीत सिंह।
4. कर्म सिंह पुत्र जीत सिंह।

   (निवासीगण खैरूवाला, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर)

5. सीतों बाई पुत्री जीत सिंह पत्नी राजा सिंह, निवासी 3 केएचएम रोजड़ी तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।
6. राजकौर पुत्री गुरदयाल सिंह पत्नी दयाल सिंह, निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर।
7. अमरजीत सिंह पुत्र जीत सिंह।
8. गुरूमुख सिंह पुत्र जीत सिंह।

   (निवासीगण कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर)।

–वादीगण

<u>बनाम</u>

1. मोहनलाल पुत्र शेराराम।

2. मदनलाल पुत्र शेराराम।
3. बुधराम पुत्र शेराराम
4. ब्रह्मा बाई पुत्री शेराराम

(निवासीगण खैरूवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर)

5. कृष्ण सिंह पुत्र जीत सिंह, कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विनिर्दिष्ट अनुपालना इकरारनामा दिनांकित 02.06.1973 एवं शाश्वत् व्यादेश

उपस्थिति:–

1. श्री संजीव सिहाग, विद्वान् अधिवक्ता वास्ते वादीगण।
2. श्री कुन्दनलाल चुघ, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादीगण।

– निर्णय:– **दिनांक:–12.05.2022**

1. वादी की ओर से यह दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.07.2013 को पेश हुआ।

2. वाद के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी सं० 1 ता 4 के पिता स्व. शेराराम पुत्र मघाराम जाति बावरी निवाासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर के नाम दर्ज चक 19 पीटीपी तहसील सादुलशहर में पं.नं. 106/151 मु. नं. 36 कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 कुल 5 बीघा नहरी आराजी दर्ज थी। स्व. शेर सिंह ने अपनी उक्त आराजी अपनी जायज जरूरत बताकर 6000/रूपये में बेचान हेतु प्रस्ताव स्व. गुरदयाल सिंह के समक्ष रखा जिस पर गुरदयाल सिंह ने उक्त कृषि भूमि छह हजार रूपये में खरीदना स्वीकार कर लिया। तब स्व. शेर सिंह ने अपनी उक्त आराजी स्वेच्छया पूर्वक दिनांक 02.06.1973 को छः हजार रूप्ये में विक्रय करने का सौदा गुरदयाल सिंह पुत्र सुंदर सिंह जाति बावरी के साथ किया एवं साई पेटे पाँँच हजार रूपये नगद प्राप्त करके ईकरारनामा बैय बहक गुरदयाल सिंह के साथ करके चार रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सौदे की लिखा पढ़ी साक्षीगण संता सिंह व डिप्टीराम की उपस्थिति में करवा कर अपनी अंगूठा निशानी एवं साक्षीगण के हस्ताक्षर करवा कर गुरदयाल सिंह को दिया एवं उसके बाद स्वयं साथ जाकर नोटेरी पब्लिक मुखराम माकड़ के समक्ष उपस्थित होकर गवाह नत्थूराम पुत्र केसाराम बावरी की उपिस्थति में दिनांक 20.06.1973 को तस्दीक करवाकर गुरदयाल सिंह को सौंप दिया। कब्जा आराजी गुरदयाल सिंह के पास पूर्व में ही था, इस बाबत ईबारत ईकरारनामा में दर्ज की। शेर सिंह ने इकरार किया कि सनद प्राप्त करके बकाया राशि एक हजार रूप्ये प्राप्त कर बैयनामा बहक खरीददार करवा दिया

जायेगा, रजिस्ट्री खर्चा खरीददार अदा करेगा। उक्त तिथि से लगातार पहले खरीददार गुरदयाल सिंह एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान वादीगण एंव प्रतिवादी सं० 5 अपने अपने हक व हिस्सा अनुसार लगातार ऐलानियां तौर पर उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। शेराराम ने ईकरारनामा में यह शर्त तैय की थी कि ईकरारशुदा आराजी की सनद हासिल करके एक माह में बकाया राशि 1000/–रूपये प्राप्त करके राजि. बैयनामा खरीददार के नाम या वह जिसके नाम कहे करवा देगा। गुरदयाल सिंह ईकरारनामा की बकाया राशि एक हजार रूपये अदा करके बैयनामा अपने नाम करवाने के लिये तैयार, तत्पर एंव ईच्छुक था और उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादीगण एंव प्रतिवादी सं० 5 सदैव तैयार, तत्पर एवं ईच्छुक रहे और आज भी बकाया राशि एक हजार रूप्ये प्रतिवादी सं० 1 ता 4 को अदा करके रजि० बैयनामा करवाने के लिए तैयार, तत्पर एंव ईच्छुक हैं। शेराराम की मृत्यु हो गई तो वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 5 ने शेराराम के वारिसान प्रतिवादी सं० 1 ता 4 को कई बार कहा कि आप सनद प्राप्त करके बैयनामा मुताबिक ईकरारनामा उनके नाम रजि० करवाओं तो प्रतिवादी सं० 1 ता 4 सदैव यही कहते रहे कि आराजी का कब्जा आपके पास है कि आराजी का कब्जा आपके पास है, आपको डरने या अविश्वास करने की जरूरत नहीं। सनद बनते ही खातेदारी अधिकार लेकर बैयनामा उनके नाम रजि० करवा देंगे। इकरारनामा आराजी की सनद जारी होने पर उक्त प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हो गई, लेकिन प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण एवं दावा के प्रतिवादी सं० 5 को इस तथ्य की जानकारी नहीं होने दी जबकि प्रतिवादी सं० 1 ता 4 के की शर्त का अच्छी तरह ज्ञान था कि सनद हासिल होते ही बकाया राशि एक हजार रूपये प्राप्त करके बैयनामा वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 5 के नाम उनके, हक हिस्सा अनुसार रजिस्टर्ड करवाना है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 5 को प्रतिवादी सं० 1 ता 4 बेदखल करने की धमकी देने लगे तो वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 5 ने पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल दिनांक 24.6.13 को हासिल की तो वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 5 को प्रथम बार ईल्म हुआ कि उक्त आराजी की सनद जारी हो चुकी है और जरिये इंतकाल सं० 103 दिनांक 01.01.1984 को खातेदारी दर्ज हो चुकी है। लेकिन उन्होंने इस तथ्य को उनसे छुपाये रखा। जब वादीगण उक्त खरीदशुदा भूमि का बैयनामा अपने नाम रजिस्टर्ड करवाने के लिये प्रतिवादीगण से मिले तो वे आना काना करने लगे तो वादीगण ने प्रतिवादी सं० 1 ता 4 को अपने अधिवक्ता के मध्यम से एक रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस दिनांक 25.06.13 को प्रेषित कर सूचित किया कि वर्णित भूमि की रजिस्टरी मुताबिक ईकरारनामा करवा देवे। लेकिन प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने उक्त ए.डी नोटिस को लेने से इंकार कर दिया। जिससे जाहिर है कि प्रतिवादी सं० 1 ता 4 उक्त भूमि की रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहते हैं। पंचायत करने पर भी प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने कहा कि अब जमीनों की कीमतें काफी बढ़ गई हें वे कोई बैयनामा उनके नाम रजिस्टर्ड नहीं करवायेंगे और आपको आराजी से जबरन बेदखल करेंगे। इस प्रकार प्रतिवादी सं० 1 ता 4 वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं । यदि प्रतिवादी सं० 1

ता 4 इस आशय में कामयाब हो गये तो वादीगण एंव प्रतिवादी सं० 5 को बहुत भारी क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी। उक्त दावा मियाद कोर्ट फीस के अंदर पेश किया है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 वादग्रस्त आराजी के विक्रय अनुबंध की विनिर्दिष्ट अनुपालना में वादीगण एंव प्रतिवादी सं० 5 से बकाया राशि एक हजार रूपये प्राप्त करके बैयनामा बहक प्रत्येक वादी सं0 1 ता 6 का ब.हि.ब 1/4 हिस्सा, वादी सं० 7, 8 एवं प्रतिवादी सं० 5 का ब.हि.ब 1/4 हिस्सा का रजिस्टर्ड करवाये। यदि प्रतिवादी सं० 1 ता 4 बैयनामा रजि. नहीं करवाते तो वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 5 के बकाया राशि एक हजार रूपये अदालत में जमा करवा कर जरिये अदालत रजि. बैयनामा बहक वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 5 उनके हक व हिस्सा अनुसार रजिस्टर्ड करवाया जावे तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 चक 19 पीटीपी तहसील सादुलशहर में प.नं. 106/151 मु.नं. 36 कि.नं 1, 10, 11, 20, 21 कुल 5 आराजी से वादीगण को बेदखल करने एंव वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने एवं उक्त आराजी को रहन, बैय आदि दीगर तरीके से हस्तांतरित करने से बाज व ममनू रहें।

3. प्रतिवादी सं० 1 ता 4 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत कर अभिवचन किया कि वादीगण ने वादपत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र एंव वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। शेराराम को चक नं० 19 पीटीपी की कृषि भूमि जीवों के आधार पर आवंटन हुई थी। उक्त भूमि का अकेला आवंटी शेराराम नहीं था। शेरा राम को उक्त भूमि का बेचान करने का अधिकार नही था। गैर खातेदारी भूमि का कानूनन बेचान नहीं किया जा सकता क्योंकि जब तक भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते तब तक भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता। शेराराम ने वादग्रस्त भूमि का इकरारनामा गुरदयाल सिंह के साथ नहीं किया तथा प्रस्तुत इकरारनामा फर्जी व कूटरचित है। उक्त ईकरारनामा पर शेरा राम के हस्ताक्षर/अंगूठे नहीं है। शेराराम ने गुरदयाल सिंह से दिनांक 02.06.73 को कोई राशि प्राप्त नहीं की और न ही कोई साई पेटे राशि प्राप्त की और न ही कोई इकरारनामा निष्पादित करवाया। वादीगण ने फर्जी व कूटरचित एंव आपराधिक षडयंत्र रचते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किये है जिस पर शेराराम की अंगूठा निशानी नहीं है ना ही नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया है। शेराराम ने गुरदयाल सिंह के साथ कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया तो सनद प्राप्त करना व बकाया राशि प्राप्त करना रजिस्टर्ड बैयनामा करवा देना तमाम तथ्य झूठे वर्णित किये हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के नाम से अरसादराज से चली आ रही है जिस पर उन्होंने बैंक से लिमिट प्राप्त कर रखी है। वादीगण फर्जी व कूटरचित इकरारनामा के आधार पर उक्त कृषि भूमि को हड़पना चाहता है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 13.04.2011 को चक नं० 19 पीटीपी की प.नं. 106/151 मु.नं. 36 किला नं. 1 सालम व किला नं. 11 का आधा कुल 2 बीघा 10 बिसवा कृषि भूमि 10,000 रूपये प्रतिबीघा एक वर्ष के लिये प्रीतम सिंह को ठेके पर दी थी व किला नं. 11 का आधा व किला नं. 20, 21 सालम कुल 2 बीघा 10

बिसवा कृष्ण सिंह, बिन्द्र सिंह, शेरू को दस हजार रूपये प्रतिबीघा 1 वर्ष के लिये ठेके पर दी थी, दिनांक 13.04.2012 को उक्त भूमि का कब्जा प्रीतम सिंह, कृष्ण सिंह, बिन्द्र सिंह व शेरू ने उनको संभलवाना था, जो उक्त वादीगण ने नहीं संभलवाया। उक्त जमीन को खाली करने को कहा तो प्रीतम सिंह, कृष्ण सिंह, बिन्द्र सिंह व शेरू ने कहा कि उन्होंने जमीन पर काश्त कर ली है तथा इस वर्ष 12 हजार रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से ठेका राशि देने का कहा। जब ठेका राशि नहीं देने पर जमीन को खाली करने के लिये कहा तो जमीन खाली करने पर वादीगण ने इंकार कर दिया। जिस पर प्रतिवादीगण ने तहसीलदार राजस्व सादुलशहर की अदालत में धारा 183 की आरटीए का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2013 को प्रस्तुत किया जो अभी लंबित है। वादीगण को जब इस तथ्य का पता लगा तो उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर मनगढ़त तथ्यों पर उक्त वाद पत्र पेश कर दिया। इस प्रकार वादीगण ठेका पर ली हुई भूमि पर जबरन काबिज होना चाहते हैं। वाद पत्र पूरी कोर्ट फीस पर पेश नहीं किया गया है तथा दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे व वादीगण से प्रतिकर दिलवाया जावे।

4. प्रतिवादी सं० 5 की ओर से ईकबाल दावा पेश कर वादी का वाद पत्र स्वीकार कर चाहे गये अनुतोष पर डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये हैंः–

    1. ''आया शेराराम ने अपने नाम से चक 19 पीटीपी तहसील सादुलशहर के पत्थर नं० 106/151 मुरब्बा नं० 36 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 कुल 5 बीघा भूमि 6 हजार रूपये में गुरदयाल सिंह को दिनांक 20.06.1973 को विक्रय कर साई पेटे पॉच हजार रूपये की राशि प्राप्त कर ली थी, जिसका ईकरारनामा चार रूपये के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील करवाया गया था?

    2. आया विवादित भूमि का कब्जा इकरारनामा से पूर्व से ही गुरदयाल सिंह के पास था?

    3. आया इकरारनामा की शर्त के मुताबिक यह तय किया गया था कि शेराराम के नाम उक्त जमीन की सनद हो जाने पर वह बैयनामा खरीददार के नाम पंजीकृत करवा देगा जिस हेतु शेष राशि एक हजार रूपये अदा कर गुरदयाल सिंह एवं उसके वारिसान बैयनामा करवाने हेतु सदैव तेयार, तत्पर एवं इच्छुक हैं?

    4. आया शेराराम को चक 19 पीटीपी तहसील सादुलशहर के पत्थर नं0 106/151 मुरब्बा नं० 36 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 कुल 5 बीघा भूमि जीवों के आधार पर अलॉट हुई थी, जिसे विक्रय करने का अधिकार शेराराम को नहीं था?

5. आया प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने विवादित भूमि दिनांक 13.04.2011 को चक 19 पीटीपी की भूमि पत्थर नं० 106/151 मुरब्बा नं० 136 के किला नंबर 1, 10 एवं 11 का आधा हिस्सा कुल 2 बीघा 10 बिसवा भूमि एक वर्ष के लिये ठेके पर प्रीतम सिंह को दी थी व किला नंबर 11 का आधा हिस्सा एवं किला नं0 20, 21 का आधा हिस्सा कुल दो बीघा 10 बिस्वा भूमि कृष्ण सिंह, बिन्द्र सिंह व शेरू को 10 हजार रूपये प्रति बीघा ठेके पर दी थी, जिसका कब्जा ठेके पर देते समय संभला दिया था एव तत्पश्चात् ठेकेदार के द्वारा उक्त भूमि का कब्जा वापिस प्रतिवादी सं० 1 ता 4 को नहीं दिया गया है?

6. आया वाद वादी न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार का नहीं है जिस कारण वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है?

7. अनुतोष ?

8. आया वाद पत्र मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है?

6. वादी पक्ष ने अपने अभिवचनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य स्वरूपं पी.ड.1 प्रीतम सिंह, पी.ड. 2 कृष्ण सिंह, पी.ड. 3 संता सिंह, पी.ड. 4 सुशील कुमार की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी व प्रलेखीय साक्ष्यस्वरूप प्रदर्श 1ए मूल ईकरारनामा की फोटोप्रति, प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 19 पीटीपी, प्रदर्श 3 नकल इंतकाल, प्रदर्श 4 लगायत 15 नकल गिरदावरी सिंचाई विभाग, प्रदर्शपी 16 लगायत प्रदर्श 19 नकल नोटिस, प्रदर्श 20 असल मुख्तयारनामा, प्रदर्श 21 असल नोटिस रजिस्ट्री लिफाफा, जिसकी रसीद प्रदर्श 22, प्रदर्श 23 रजिस्टर्ड नोटिस लिफाफा बुधराम जिसकी रसीद प्रदर्श 24, प्रदर्श 25 असल नोटिस रजिस्टर्ड लिफाफा मोहनलाल, जिसकी रसीद प्रदर्श 26, प्रदर्श 27 असल रजिस्टर्ड नोटिस लिफाफा बिरमाबाई, जिसकी रसीद प्रदर्श 28 आदि दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गए।

7. प्रतिवादी पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी में डी.ड. 1 मोहनलाल, डी.ड. 2 बुधराम की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुछ भी पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

8. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने दावा में अंकित अभिवचनों को दोहराया है तथा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

1. Ram Lal & Ors. vs Bajrang lal, Citataion 2012(3) DNJ (Raj.) 1460.

2. Jugal kishore Garg Vs. Anand Srivastava & Ors. 2012(3) DNJ(Raj.) 1377.

3. Aam Janta Gram Bhadliya Vs. State of Rajasthan & Ors. 2012(3) DNJ(Raj.) 1330.
4. Champalal & Ors. Vs Smt. Chandra Devi & Anr. 2012(3) DNJ(Raj.) 1331.
5. Nawab Ali Vs. Rahis Khan 2014(2) RRT 1472.
6. Biswanath Gohos(Dead) By LR's & Ors. Vs. Gobinda Ghosh @ Gobindha Chandra Ghosh & Ors.2014 DNJ(SC) 297.
7. Rame Gowda(D) By LRs. & Anr. 2004 DNJ(SC) 263.
8. Kaladevi Vs. V.R. Somasundaram & Ors., 2010 DNJ(SC) 446.
9. Sheela Tulsyani(Smt.) & Anr. Vs. Major Hemant Singh Jamwal, 2010(3) DNJ(Raj.) 1205.
10. Divisional Controller, KSRTC Vs. M.G. Vittal Rao, 2012 DNJ(SC) 587.
11. Hawa Kanwar & Anr. Vs. Vala & Ors. 2012(2) DNJ(Raj.) 670.

9. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया है। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

   1. Thiruvengada Pillai Vs. Navaneethammal & Anr. 2008 DNJ(S.C.) 376.
   2. Janardhanam Prasad Vs. Ramdas 2007 DNj(S.C) 389.
   3. Mander Singh & Ors. Vs. Smt. Tej kaur 2009(2) DNJ(Raj.) 1118
   4. Munavirunnisa Begum)MSt.)& Ors. Vs Mohd. Islam & Ors. 2015(2) DNJ (Raj.) 774.
   5. Lakshmi Sreenivasa Cooperative Building Society Vs. Puvvada Rama(Dead) By LR's Ors. 2018 DNJ(SC) 905. [Suit for specific performance of the agreements Trial Court dismissed the suits–First appeals dismissed–Trial Court held that the appellant/plaintiff had failed to prove the execution of the suit agreements and delivery of possession of the suit property and further failed to prove payment of earnest money to owners of the land]

6. Kalawati(D) Through Lrs. & Ors. Vs. Rakesh Kumar & Ors. 2018(2) CCC 221(SC).[Specific performance–Vendee not ready and willing at all times to perform his part of agreement, i.e. paying balance consideration–Held, not entitled to decree of specific performance.

7. Vijay Kumar & Ors. Vs. Om Parkash, 2018 DNJ(SC) 1137. [Plaintiff required to prove and establish the readiness and willingness to perform his part of the contract.

10. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अवलोकन करें तो गवाह पी.ड. 1 प्रीतम सिंह व पी.ड. 2 कृष्ण सिंह न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुये जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में एक स्वर में कथन किया कि प्रतिवादी सं० 1 ता 4 के पिता स्व. शेराराम के नाम दर्ज चक 19 पटीपी तह० सादुलशहर में पं.नं. 106/151 मु. नं. 36 कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 कुल 5 बीघा नहरी आराजी को स्व. शेर सिंह ने अपनी जायज जरूरत बताकर 6000/रूपये में बेचने हेतु प्रस्ताव स्व. गुरदयाल सिंह के समक्ष रखने पर गुरदयाल सिंह ने उक्त कृषि भूमि छह हजार रूपये में खरीदना स्वीकार कर स्व० शेर सिंह ने अपनी उक्त आराजी स्वेच्छा पूर्वक दिनांक 02.06.1973 को छः हजार रूप्ये में विक्रय करने का सौदा गुरदयाल सिंह पुत्र सुंदर सिंह जाति बावरी के साथ किया एंव साई पेटे पॉच हजार रूपये नगद प्राप्त करके ईकरारनामा बैय बहक गुरदयाल सिंह के साथ करके चार रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सौदे की लिखा पढ़ी साक्षीगण संता सिंह व डिप्टीराम की उपस्थिति में करवा कर अपनी अंगूठा निशानी एवं साक्षीगण के हस्ताक्षर करवा कर गुरदयाल सिंह को दिया एवं उसके बाद स्वयं साथ जाकर नोटेरी पब्लिक मुखरमा माकड़ के समक्ष उपस्थित होकर गवाह नत्थूराम पुत्र केसाराम बावरी की उपिस्थति में दिनांक 20.06.1973 को तस्दीक करवाकर गुरदयाल सिंह को सौंप दिया। कब्जा आराजी गुरदयाल सिंह के पास पूर्व में ही था, इस बाबत ईबारत ईकरारनामा में दर्ज की। शेर सिंह ने इकरार किया कि सनद प्राप्त करके बकाया राशि एक हजार रूप्ये प्राप्त कर बैयनामा बहक खरीददार करवा दिया जायेगा, रजिस्ट्री खर्चा खरीददार अदा करेगा। उक्त तिथि से लगातार पहले खरीददार गुरदयाल सिंह एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान वादीगण एंव प्रतिवादी सं० 5 अपने अपने हक व हिस्सा अनुसार लगातार ऐलानियां तौर पर उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। शेराराम द्वारा ईकरारनामा में तय शर्त अनुसार बकाया राशि एक हजार रूप्ये प्रतिवादी सं० 1 ता 4 को अदा करके रजि० बैयनामा करवाने के लिए तैयार, तत्पर एंव ईच्छुक हैं। शेराराम की मृत्यु हो गई तो वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 5 ने शेराराम के वारिसान प्रतिवादी सं० 1 ता 4 को कई बार कहने पर इकरारनामा आराजी की सनद जारी होने पर उक्त प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हो गई, लेकिन प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण

एवं दावा के प्रतिवादी सं० 5 को इस तथ्य की जानकारी नहीं होने दी जबकि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को ज्ञात था कि तय शर्त अनुसार सनद हासिल होते ही बकाया राशि एक हजार रूपये प्राप्त करके बैयनामा वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 5 के नाम उनके, हक हिस्सा अनुसार रजिस्टर्ड करवाना है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 5 को प्रतिवादी सं० 1 ता 4 बेदखल करने की धमकी देने लगे तो वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 5 ने पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल दिनांक 24.6.13 को हासिल की तो वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 5 को प्रथम बार ईल्म हुआ कि उक्त आराजी की सनद जारी हो चुकी है और जरिये इंतकाल सं0 103 दिनांक 01.01.1984 को खातेदारी दर्ज हो चुकी है। लेकिन उन्होंने इस तथ्य को उनसे छुपाये रखा। जब वादीगण उक्त खरीदशुदा भूमि का बैयनामा अपने नाम रजिस्टर्ड करवाने के लिये प्रतिवादीगण से मिले तो वे आना काना करने लगे तो वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को अपने अधिवक्ता के मध्यम से एक रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस दिनांक 25.06.13 को प्रेषित कर रजिस्टरी मुताबिक ईकरारनामा बाबत् सूचित किया तो प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने उक्त ए.डी नोटिस को लेने से इंकार कर दिया। पंचायत में भी उन्होंने मना कर दिया। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 1 प्रीतम सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि प्रदर्श 1ए मूल ईकरारनामा की फोटोप्रति, प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 19 पीटीपी, प्रदर्श 3 नकल इंतकाल, प्रदर्श 4 लगायत 15 नकल गिरदावरी सिंचाई विभाग, प्रदर्शपी 16 लगायत प्रदर्श 19 नकल नोटिस, प्रदर्श 20 असल मुख्तयारनामा, प्रदर्श 21 असल नोटिस रजिस्ट्री लिफाफा, जिसकी रसीद प्रदर्श 22, प्रदर्श 23 रजिस्टर्ड नोटिस लिफाफा बुधराम जिसकी रसीद प्रदर्श 24, प्रदर्श 25 असल नोटिस रजिस्टर्ड लिफाफा मोहनलाल, जिसकी रसीद प्रदर्श 26, प्रदर्श 27 असल रजिस्टर्ड नोटिस लिफाफा बिरमाबाई, जिसकी रसीद प्रदर्श 28 है। **दौराने जिरह गवाह पी.ड.1 प्रीतम सिंह का कथन रहा है कि** इकरारनामा प्रदर्शपी 1 उसके सामने नहीं लिखा गया। उसने ईकरारनामा प्रदर्शपी 1 को रजिटर्ड नहीं करवाया। संता सिंह व डिप्टीराम के अलग स्याही से हस्ताक्षर हों तो उसे पता नहीं। प्रदर्शपी 1 निहालचंद अर्जीनिवेश ने लिखा है। यह बात उसे उसके पिता ने बताई। प्रदर्शपी 1 पर निहालचंद के हस्ताक्षर हों तो उसे पता नहीं है। उसके सामने प्रदर्शपी 1 पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हुए। उसने सनद देखी है। शेराराम को जीवों के आधार पर जमीन अलॉट हुई थी। अलॉटमैंट के अंदर 5–6 जीव थे। शेराराम की कब मृत्यु हुई उसे पता नहीं। गैरखातेदारी भूमि की रजिस्टरी नहीं हो सकती। मुरब्बा नंबर 34 किसका है वह नहीं बता सकता। चक 19 पीटीपी के मुरब्बा नंबर 34 की गिरदावरी प्रदर्शपी 4 कृष्ण के नाम की है। यह गलत है कि कह उन्होंने गिरदावरी प्रदर्श 9 से प्रदर्श 15 पेश की हो, वह वादग्रस्त जमीन की ना हो। इ इकरारनामा में कौनसा मुरब्बा नं० था, उसे पता नहीं। सन् 2013 से पहले उसने कोई नोटिस शेराराम को नहीं दिया। यह गलत है कि उसने इकरानामा प्रदर्श 1 फर्जी व कूटरचित तैयार किया हो। उसने अपने दावा व हल्फनामा में मोहनलाल के पास जाने का कोई तारीख, महीना, सन् वार इत्यादि नहीं लिखाया। मोहनलाल वगैरा ने उसे जमीन ठेके

पर दी है। वर्ष 1973 से 2013 में यह दावा करने से पूर्व उसने कोई दावा पेश नहीं किया। नोटिस प्रदर्शपी 16 से प्रदर्शपी 19 किस तारीख, माह, वर्ष वार को दिया उसे पता नहीं है। प्रदर्शपी 21 से प्रदर्शपी 27 नोटिस उसने बैंक को दिये थे क्योंकि प्रतिवादीण लोन उठा रहे थे। प्रदर्शपी 21 से प्रदर्शपी 27 नोटिस देने के पश्चात् बैंक वालों ने लोन रोक दिया होगा। उसे पता नही है कि स्टाम्प प्रदर्शपी 1 कहां से लिया। ईकरारनामा लिखने से पहले कब्जा नहीं दिया था, खुद कहा कि उस रोज दिया था। वर्ष 1973 में शेराराम के नाम से जमीन होने की कोई जमाबंदी अलॉटमैंट ऑर्डर व सनद उसने दावा के साथ पेश नहीं किये। **दौराने जिरह गवाह पी.ड. 2 कृष्णसिह का कथन रहा है कि** उसका व उसके भाई का शेराराम से कोई सौदा नहीं हुआ। शेराराम को जीवों के आधार पर ही जमीन अलॉटमैंट हुई थी। शेराराम, मोहनलाल, मदनलाल व बिरमा देवी को जमीन अलॉट हुई थी। जब तक शेराराम जीवित था तब तक उसके नाम से सनद नहीं बनी थी। उसे नहीं पता कि इकरारनामे पर शेराराम के अंगूठा या हस्ताक्षर है या नहीं, उसे पता नहीं कि इकरारनामे पर मोहनलाल, मदनलाल, बुधराम के हस्ताक्षर या अंगूठे है या नहीं। गवाह इस कथन को गलत बताता है कि मोहनलाल, मदनलाल, बुधराम ने उक्त जमीन आज से करीब 3–4 साल पहले ठेके पर काश्त करने हेतु दी हो। यह सही है कि इन लोगों ने जमीन खाली नहीं की तो तहसील में दावा किया गया। शेराराम की मृत्यु कब हुई उसे पता नहीं। जमाबंदी शेराराम के नाम से है। जिस जमीन का दावा उसने किया है वो पानी की पर्ची शेराराम के नाम से है। उसने पानी की पर्ची देखी है। फर्जी कागज उसने तैयार नहीं किये चाचा ने किये होंगे।

11. गवाह पी.ड. 3 संता सिंह ने सशपथ कथन किया है कि प्रतिवादी सं० 1 ता 4 के पिता स्व. शेराराम के नाम दर्ज उक्त विवादित आराजी को स्व. शेर सिंह ने अपनी जायज जरूरत बताकर 6000/रूपये में बेचने हेतु प्रस्ताव स्व. गुरदयाल सिंह के समक्ष रखने पर गुरदयाल सिंह ने उक्त कृषि भूमि छह हजार रूपये में खरीदना स्वीकार कर स्व० शेर सिंह ने अपनी उक्त आराजी स्वेच्छा पूर्वक दिनांक 02.06.1973 को छः हजार रूप्ये में विक्रय करने का सौदा गुरदयाल सिंह पुत्र सुंदर सिंह जाति बावरी के साथ किया एंव साई पेटे पॉच हजार रूपये नगद प्राप्त करके ईकरारनामा बैय बहक गुरदयाल सिंह के साथ करके चार रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सौदे की लिखा पढ़ी उसके व डिप्टीराम की उपस्थिति में करवा कर स्व० शेर सिंह ने अपनी अंगूठा निशानी एवं उसके व डिप्टीराम के हस्ताक्षर करवा कर गुरदयाल सिंह को दिया। कब्जा आराजी स्व. गुरदयाल सिंह के पास पूर्व में ही था, इस बाबत ईबारत ईकरारनामा में दर्ज की। स्व० शेर सिंह ने इकरार किया कि सनद प्राप्त करके बकाया राशि एक हजार रूपये प्राप्त कर बैयनामा बहक खरीददार करवा दिया जावेगा, रजिस्ट्री खर्चा खरीददार अदा करेगा, तब से गुरदयाल एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 5 उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा स्व० शेरसिंह व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी सं० 1 ता 4 का कोई कब्जा उक्त आराजी पर नहीं

रहा। इकरानामा प्रदर्श 1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर तथा सी से डी डिप्टीराम के हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** प्रदर्शपी 1 पर डिप्टीराम के हस्ताक्षर अराजीनवीस आशाराम, मुंशीराम के पास किये थे। उसे पता नहीं कि इकरारनामा रजिस्टर्ड हुआ या नहीं। अरजीनवीस ने उक्त इकरारनामा की एंट्री रजिस्टर में की थी। शेराराम व सोनादेवी ने स्टाम्प मंडी सादुलशहर से लिये थे। हल्फनामा में उसने 5 बीघा का जो वर्णन किया है वह जमीन शेराराम के नाम से है। शेराराम की इकरारनामा करने के बाद मृत्यु हुई है। उसके सामने इकरारनामा हुआ था, उस पर शेराराम ने अंगूठा या दस्तख्त किये या नहीं उसे पता नहीं है। अरजीनवीस ने करवाये या नहीं उसे पता नहीं है। गवाह इन कथनों को गलत बताता है कि इस जमीन पर कभी भी कब्जा प्रीतम सिंह का ना रहा हो, उसके सामने कोई पैसे का लेनदेन ना हुआ हो व प्रदर्शपी 1 फर्जी तैयार किया हो।

12. गवाह पी.ड. 4 सुशील कुमार ने सशपथ कथन किया कि इकरारनामा जो शेराराम द्वारा चक 19 पीटीपी के पं.नं. 106/151 मु. नं. 36 कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 कुल 5 बीघा आराजी का ईकरारनामा बहक गुरदयाल सिंह किया गया है। उस पर बतौर हासिया गवाह उसके पिता डिप्टीराम के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्शपी 1 पर सी से डी उसके पिता के हस्ताक्षर हैं जिन्हें वह पहचानता है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है** कि डिप्टीराम उससे 20 साल से अलग रह रहे थे। डिप्टीराम ने उसके सामने हस्ताक्षर नहीं किये। प्रदर्श पी 1 पर उसके पिता डिप्टीराम के हस्ताक्षर का किसी अन्य दस्तावेज पर हुए हस्ताक्षर से मिलान नहीं किया। खुद कहा कि वह स्वयं इसे पहचानता है। प्रदर्श पी 1 उसने पढा नहीं था। जमीदार ने उसे बताया था कि इस दस्तावेज पर डिप्टीराम के हस्ताक्षर है तो उसने प्रदर्श पी 1 देख कर हस्ताक्षर पहचान कर उसे बताया कि यह उसके पिता के हस्ताक्षर ही है।

13. इसके विपरीत प्रतिवादी गवाह डी.ड. 1 मोहनलाल व डी.ड. 2 बुधराम ने अपने मुख्य परीक्षण में एक स्वर में कथन किए हैं कि शेराराम को चक नं० 19 पीटीपी की कृषि भूमि जीवों के आधार पर आवंटन हुई थी। उक्त भूमि का अकेला आवंटी शेराराम नहीं था। शेरा राम को उक्त भूमि का बेचान करने का अधिकार नही था। गैर खोदारी भूमि का कानूनन बेचान व भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने तक भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता। शेराराम ने वादग्रस्त भूमि का इकरारनामा गुरदयाल सिंह के साथ नहीं किया तथा प्रस्तुत इकरार नामा फर्जी व कूटरचित है। उक्त ईकरारनामा पर शेरा राम के हस्ताक्षर/अंगूठे नहीं है। शेराराम ने गुरदयाल सिंह से दिनांक 02.06.73 को कोई राशि प्राप्त नहीं की और न ही कोई साई पेटे राशि प्राप्त की और न ही कोई इकरारनामा निष्पादित करवाया। वादीगण ने फर्जी व कूटरचित एंव आपराधिक षडयंत्र रचते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किये है जिस पर शेराराम की अंगूठा निशानी नहीं है ना ही नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया है। शेराराम ने गुरदयाल सिंह के साथ कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया तो सनद प्राप्त करना व बकाया राशि प्राप्त करना रजिस्टर्ड बैयनामा करवा देना तमाम तथ्य झूठे वर्णित किये हैं। वादीगण ने डीआरओ

कार्यालय कब बंद हुआ, कब गुरदयाल सिंह व शेराराम की मृत्यु हुई बाबत् वादपत्र में कोई अंकन नहीं किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं० 1 ता 4 के नाम से अरसा दराज से चली आ रही है जिस पर उन्होंने बैंक से लिमिट प्राप्त कर रखी है। वादीगण फर्जी व कूटरचित इकरारनामा के आधार पर उक्त कृषि भूमि को हड़पना चाहता है। उन्होंने दिनांक 13.04.2011 को चक नं0 19 पीटीपी की प.नं. 106/151 मु0 नं0 36 किला नं० 1 सालम व किला नं० 11 का आधा कुल 2 बीघा 10 बिसवा कृषि भूमि 10,000 रूपये प्रतिबीघा एक वर्ष के लिये प्रीतम सिंह को ठेके पर दी थी व किला नं० 11 का आधा व किला नं० 20, 21 सालम कुल 2 बीघा 10 बिसवा कृष्ण सिंह, बिन्द्र सिंह, शेरू को दस हजार रूपये प्रतिबीघा 1 वर्ष के लिये ठेके पर दी थी, दिनांक 13.04.2012 को उक्त भूमि का कब्जा प्रीतम सिंह, कृष्ण सिंह, बिन्द्र सिंह व शेरू ने उनको संभलवाना था, जो उक्त वादीगण ने नहीं संभलवाया। उक्त जमीन को खाली करने को कहा तो प्रीतम सिंह, कृष्ण सिंह, बिन्द्र सिंह व शेरू ने कहा कि उन्होंने जमीन पर काश्त कर ली है तथा इस वर्ष 12 हजार रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से ठेका राशि देने का कहा। जब ठेका राशि नहीं देने पर जमीन को खाली करने के लिये कहा तो जमीन खाली करने पर वादीगण ने इंकार कर दिया। जिस पर उन्होंने तहसीलदार राजस्व सादुलशहर की अदालत में धारा 183 की आरटीए का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2013 को प्रस्तुत किया। वादीगण को जब इस तथ्य का पता लगा तो उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर मनगढ़त तथ्यों पर उक्त वाद पत्र पेश कर दिया। वादीगण ने खातेदार घोषित करने बाबत् एक वाद पत्र माननीय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर में इसी जमीन के संबंध में प्रस्तुत किया जो खारिज हो चुका है। इस प्रकार वादीगण ठेका पर ली हुई भूमि पर जबरन काबिज होना चाहते हैं। वाद पत्र पूरी कोर्ट फीस पर पेश नहीं किया गया है तथा दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं है।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई जिरह में गवाह डी.डब्ल्यू 1 मोहनलाल का कथन रहा है कि दिनांक 02.06.73 को उसके पिता ने अपनी आराजी का कोई इकरारनामा लिख कर गुरदयाल सिंह को नहीं दिया था। शेराराम ने अपने जीवन काल में गुरदयाल सिंह को विवादित जमीन से निकालने बाबत् कोई दावा पेश नहीं किया, क्योंकि वह खुद काश्त करते थे व ठेके हिस्से पर देते थे। जुलाई 1973 में गुरदयाल सिंह का इस जमीन पर कब्जा काश्त नहीं था। गत 5-6 सालों से प्रीतम सिंह वगैरा को ठेके पर काश्त दी हुई है व इससे पहले इन्हें कभी नहीं दी। 5 बीघा पर वादीगण की काश्त है। यह विवादित पांचों बीघा जमीन प्रीतम सिंह व कृष्ण को दी हुई है। इस जमीन की गिरदावरी 2011 में किला नंबर 1 व 10 की कृष्णलाल के नाम हो व उसी की काश्त हो तो उसे ध्यान नहीं। 2008-2009 में किला नंबर 5 व 6, 2007-2008 में किला नंबर 5 व 6, 2006 में किला नंबर 6, 2007 में किला नंबर 5 व 6 ख् 2006-2007 में किला नंबर 5 व 6 पर कब्जा काश्त कृष्ण की हो व उसी के नाम से गिरदावरी हो तो उसे पता नहीं। वादीगण यदि आज भी तैयार हो तो भी वे रजिस्टरी करवाना नहीं चाहते। खातेदारी शेराराम के नाम से नहीं ली थी, जो वारिसान के नाम

से ली थी। **अधिवक्ता वादी द्वारा की गई जिरह में गवाह डी.डब्ल्यू 2 बुधराम ने कथन किया है कि** गत 5 साल से पूर्व वे खुद काश्त करते रहे है। करीब 5 साल पहले जमीन वादीगण को ठेका पर दी थी जो पांचों बीघा इकटठे वादीगण को दी थी जो अलग अलग नही दी। वादीगण उक्त पांचो बीघा जमीन एक साथ काश्त करते है व फसल में से हिस्सा कर लेते है। उसे यह पता नही है कि सिंचाई विभाग में वादग्रस्त आराजी की गिरदावरी वादी कृष्ण के नाम हो रही है।

14. उभय पक्षों के अभिवचनों एवं साक्ष्यों के आधार पर विवाधकों का विनिश्चिय निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्याः– 1, 2, 3, 4 व 5

15. विवाद्यक 1, 2, 3 को साबित करने का भार वादीगण पर एवं विवाद्यक सं० 4 व 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। उक्त सभी विवाद्यक एक–दूसरे से आपस में संबंधित होने के कारण उक्त विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा दिनांकित 02.06.1973 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इकरारनामा नियमानुसार रजिस्टर्ड व स्टाम्पित नहीं है। इस संबंध में दिनांक 10.08.2015 को गवाह पी.ड. 1 प्रीतमसिंह की साक्ष्य के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा इकरारनामा पर प्रदर्श अंकन बाबत् आपत्ति(इकरारनामा रजिस्टर्ड व स्टाम्पित नहीं होने के कारण) किए जाने पर न्यायालय द्वारा तथाकथित आपत्ति रिजर्व रखते हुए साक्ष्य अनुमति प्रदान की गई थी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का यह तर्क रहा है कि तथाकथित दस्तावेज स्टाम्पित नहीं है, जिसे स्टाम्पित करवाने हेतु वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई Prayer नहीं की गई है, ना ही इस संबंध में स्टाम्प ड्यूटी अदा की गई है। ऐसे में इकरारनामा साक्ष्य में ग्रह्य नहीं है। जिस संबंध में विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा यही कथन किया गया है कि वादी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालना का दावा पेश किया गया है, जिसमें अनरजिस्टर्ड इकरारनामा की साक्ष्य में ग्राह्य होता है, परंतु न्यायालय के समक्ष अस्टाम्पित इकरारनामा के संबंध में कोई तर्क, कथन या Prayer नहीं की गई है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत BVR Reddy vs. Adoni Co–operative Central atores AIR 1975 AP 96 से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है, जिसमें यह विधिक प्रावधान वर्णित किया गया है कि The plaintiff filed a document which was not duly stamped and registered, and accordingly, the plaintiff was directed to pay the required duty and penalty. Instead of complying with the order, the plaintiff petitioner therein, filed an application under Section 38 (2) of the Act to send the document to the Collection for purpose of determining the duty and penalty to be paid and the same plea was rejected by the Court holding that the document

cannot be sent to the Collector under Section 38 (2) of the Act. Against the said order, the petitioner preferred a revision wherein it was held that "The Court cannot compel a party to pay the stamp duty and penalty and have it admitted in evidence. It is for the party to have the document admitted in evidence by paying stamp duty and penalty or leave the Court to take action as provided under Section 38 (2). अर्थात् न्यायालय स्टाम्प ड्यूटी अदा किए जाने बाबत् किसी भी पक्षकार को Compel नहीं कर सकता है। इस हेतु पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर न्यायालय की ड्यूटी है कि वो आवेदन करने पर प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार विचार कर तथाकथित दस्तावेज स्टाम्पित करवाए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करे, परन्तु हस्तगत प्रकरण में इस तरह की कोई Prayer वादी द्वारा नहीं की गई है, ना ही कोई स्टाम्प ड्यूटी अदा की गई है। जहाँ तक दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होने का संबंध है, इस संबंध में धारा 49 Indian Rajistration Act के परंतुक में स्पष्ट विधिक प्रावधान है, जिसके तहत विनिर्दिष्ट अनुपालना में अनरजिस्टर्ड इकरारनामा को भी साक्ष्य में ग्राह्य माना गया है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत निम्न न्यायिक दृष्टांतों से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः–

1. Ramlal Vs. Bajrang lal, 2012(3) DNJ(Raj.) 1460. जिसमें यह विधिक प्रावधान वर्णित किया गया है कि **(A)** Suit for specific performance of agreement is maintainable on the basis of unregistered agreement to sell under proviso to Section 49 of Registration Act **(B)** Main relief sought is the specific performance of the agreement and no separate Court–fee is payable on ancillary relief of declaration and permanent injunction.

2. Nawab Ali Vs. Rahis Khan, 2014(2) RRT 1472.जिसमें यह विधिक प्रावधान वर्णित किया गया है कि As per proviso to Sec. 49 unregistered document can be accepted in evidence in suit for specific performance.

3. Kaladevi Vs. V.R. Somasundaram & Ors., 2010 DNJ(SC) 446 जिसमें यह विधिक प्रावधान वर्णित किया गया है कि Suit for specific performance of contract Sale deed is admissible as evidence of contract.

4. Hawa Kanwar & Anr. Vs. Vala & Ors. 2012(2) DNJ(Raj.) 670, जिसमें यह विधिक प्रावधान वर्णित किया गया है कि

Unregistered document could be received as evidence of contract in a suit for specific performance of contract or any collateral transaction not required to be effected by registered instruement Agreement in question could be received in evidence

परंतु हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा तथाकथित इकरारनरामा को नियमानुसार स्टाम्पित नहीं करवाया गया है। ऐसे में स्टाम्प एक्ट के विधिक प्रावधानों के के तहत इकरारनामा अस्टाम्पित होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Thiruvengada Pillai Vs. Navaneethammal & Anr. 2008 DNJ(S.C.) 376 से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है, जिसमें यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि Even if an agreement is not executed on requisite stamp paper, it is admissible in evidene on payment of duty ard penalty under Section 35 or 37 of the Indian Stamp Act, 1899.

Specific Relief Act, 1963–Sec. 20–Suit for specific performance of agreement to sale–Defendant No. I denied the execution of agreement to sale–Burden of proof is on plaintiff to prove that defendant No. 1 executed the agreement and not on the defendant to prove that document was forged–Circumstances created a doubt about the genuineness of the agreement.

16. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में गवाह पी.ड. 1 प्रीतम सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किए है कि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता स्व. शेराराम के नाम दर्ज चक 19 पीटीपी तह० सादुलशहर में पं.नं. 106/151 मु. नं. 36 कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 कुल 5 बीघा नहरी आराजी को स्व. शेर सिंह ने अपनी जायज जरूरत बताकर 6000/रूपये में बेचने हेतु प्रस्ताव स्व. गुरदयाल सिंह के समक्ष रखने पर गुरदयाल सिंह ने उक्त कृषि भूमि छह हजार रूपये में खरीदना स्वीकार कर स्व 0 शेर सिंह ने अपनी उक्त आराजी स्वेच्छा पूर्वक दिनांक 02.06.1973 को छः हजार रूप्ये में विक्रय करने का सौदा गुरदयाल सिंह पुत्र सुंदर सिंह जाति बावरी के साथ किया एंव साई पेटे पॉच हजार रूपये नगद प्राप्त करके ईकरारनामा बैय बहक गुरदयाल सिंह के साथ करके चार रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सौदे की लिखा पढ़ी साक्षीगण संता सिंह व डिप्टीराम की उपस्थिति में करवा कर अपनी अंगूठा निशानी एवं साक्षीगण के हस्ताक्षर करवा कर गुरदयाल सिंह को दिया एवं उसके बाद स्वयं साथ जाकर नोटेरी पब्लिक मुखरमा माकड़ के समक्ष उपस्थित होकर गवाह नत्थूराम पुत्र केसाराम बावरी की उपिस्थति में दिनांक 02.06.1973 को तस्दीक करवाकर गुरदयाल सिंह को सौंप

दिया। कब्जा आराजी गुरदयाल सिंह के पास पूर्व में ही था, इस बाबत ईबारत ईकरारनामा में दर्ज की। शेर सिंह ने इकरार किया कि सनद प्राप्त करके बकाया राशि एक हजार रूप्ये प्राप्त कर बैयनामा बहक खरीददार करवा दिया जायेगा, रजिस्ट्री खर्चा खरीददार अदा करेगा। उक्त तिथि से लगातार पहले खरीददार गुरदयाल सिंह एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान वादीगण एंव प्रतिवादी सं० 5 अपने अपने हक व हिस्सा अनुसार लगातार ऐलानियां तौर पर उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। ईकरारनामा करने के बाद स्व.शेराराम ईकरारशुदा आराजी की सनद प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहा लेकिन सनद तैयार नहीं हो पाई उसके बाद सरकार द्वारा डी आर ओ कार्यालय बंद कर दिया गया और सनद जारी होने की कार्यवाही रूक गई और शेराराम की मृत्यू हो गई तो मिकर व अन्य वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 ने शेराराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को कई बार कहा कि आप सनद प्राप्त करके बैयनामा मुताबिक ईकरारनामा उनके नाम रजि, करवाओ तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने सदैव यही कहते रहे कि आराजी का कब्जा आपके पास है आपको डरने या. अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 सनद बनते ही खातेदारी अधिकार लेकर बैयनामा आपके नाम रजि. करवा देगें तो वादी व अन्य वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 ने प्रतिवादी सं. 1 ता 4 पर विश्वास कर लिया। वहीं जिरह में गवाह पी.ड. 1प्रीतम सिंह व पी.ड. 2 कृष्ण सिंह ने इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि शेराराम को विवादित जमीन जीवों के आधार पर अलॉट की गई थी। ऐसे में स्पष्ट है कि उपरोक्त इकरारनामा करते समय स्व० शेराराम को विवादित सम्पत्ति में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं थे तथा विवादित सम्पत्ति के संबंध में वादीगण स्वयं ने स्वीकारा है कि जीवों के आधार पर अलॉट की गई थी तो स्व० शेराराम को न्यायालय के विनम्र मत में उपरोक्त सम्पत्ति को अंतरण करने का कोई विधिक अधिकार ही नहीं रह जाता। यहॉं यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण स्वयं ने यह कथन किए हैं कि विवादित सम्पत्ति में खातेदारी अधिकार शेराराम के जीवनकाल में उसे प्राप्त नहीं हुए, अपितु शेराराम की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी सं० 1 ता 4 को सन्, 1984 में प्राप्त हुए थे। ऐसे में जहाँ इकरारनामा के समय स्व० शेराराम ने गुरदयाल सिंह को यह स्पष्ट कर दिया था कि वर्तमान में उसके पास विवादित सम्पत्ति के संबंध में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि गुरदयाल सिंह को यह ज्ञान न हो कि इकरारनरामा के समय स्व० शेराराम को विवादित सम्पत्ति अंतरण करने का अधिकार नहीं था। ऐसे में गुरदयाल सिंह को तथाकथित इकरारनामा के आधार पर विवादित सम्पत्ति में जब कोई हित ही नहीं प्राप्त हुए, तो इकरारनामा की पालना करवाए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हलांकि प्रकरण में वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य से इकरारनरामा के निष्पादन को इकरारनामा के गवाह पी.ड. 3 संता सिंह व अन्य गवाह पी.ड. 4 सुशील कुमार, जिसके द्वारा अपने पिता डिप्टीराम के हस्ताक्षर की पहचान की गई है, को प्रमाणित किया है। परंतु प्रकरण में उपरोक्त विधिक स्थिति उत्पन्न होने के कारण स्व० शेराराम को जब विवादित सम्पत्ति का अंतरण करने का

अधिकार प्राप्त नहीं था, ऐसे में सम्पत्ति में कोई हित गुरदयालसिंह प्राप्त नहीं होते। लिहाजा तथाकथित इकरारनरामा के संबंध में चाहा गया अनुतोष वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रह जाते हैं। यहाँ प्रकरण में हालांकि इकरारनरामा के निष्पादन को वादीगण ने प्रमाणित कर दिया है। ऐसे में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का दौराने बहस बार–बार यह कथन किया गया है कि तथाकथित इकरारनरामा कूटरचित एवं फर्जी है, परंतु न्यायालय के विनम्र मत में इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा पेश नहीं की गई है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Thiruvengada Pillai Vs. Navaneethammal & Anr. 2008 DNJ(S.C.) 376 से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है, जिसमें यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि Specific Relief Act, 1963–Sec. 20–Suit for specific performance of agreement to sale–Defendant No. I denied the execution of agreement to sale–Burden of proof is on plaintiff to prove that defendant No. 1 executed the agreement and not on the defendant to prove that document was forged–Circumstances created a doubt about the genuineness of the agreement. प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियां भिन्न होने से चस्पा नहीं होता है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में जब वादी द्वारा इकरारनरामा के निष्पादन को प्रमाणित कर दिया गया है। ऐसे में यह तथ्य कि इकरारनामा फर्जी व कूटरचित है, को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर शिफ्ट हो जाता है।

17. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का यह भी तर्क रहा है कि दिनांक 13.04.2011 को चक न० 19 पी टी पी की प०न० 106/151 मु0 न0 36 किला न0 1, 10 सालम व किला न0 11 का आधा कुल 2 बीघा 10 बिसवा कृषि भूमि 10,000 रूपये प्रतिबीघा एक वर्ष के लिए प्रीतम सिंह को ठेके पर दी थी व किला न० 11 का आधा व किला न0 20, 21 सालम कुल 2 बीघा 10 बिसवा कृष्ण सिंह, बिन्द्र सिंह, शेरू को 10,000 रूपये प्रतिबीधा 1 वर्ष के लिए ठेके पर दी थी दिनांक 13.04.2012 को उक्त भूमि कब्जा प्रीतम सिंह, कृष्ण सिंह, बिन्द्र सिंह व शेरू ने प्रतिवादी व उसके भाईयो को संभलवाना था, लेकिन वादीगण प्रीतम सिंह, कृष्ण सिंह, विन्द्र सिंह व शेरू सिंह ने उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी व उसके भाइयों को नहीं संभलवाया तो प्रतिवादी व उसके भाइयों के भाईया ने उक्त जमीन वादीगण को खाली करने के लिए कहा तो प्रीतम सिंह, कृष्ण सिंह, बिन्द्र सिंह व शेरू में कहा कि उन्होंने तो जबरन जमीन काश्त कर ली है, आपको इस वर्ष 12,000 रूपये प्रतिवीघा के हिसाब से ठेका राशि दे देंगे प्रतिवादी व उसके भाइयोंर के भाईया को जब प्रीतम सिंह, कृष्ण सिंह, बिन्द्र सिंह व शेरू ने ठेका राशि नही दी तो प्रीतम सिंह, कृष्ण सिंह, बिन्द्र सिंह, शेरू को जमीन खाली करने के लिए कहा गया तो उनके द्वारा जमीन खाली नहीं करने पर व इन्कार कर देने पर प्रतिवादी व उसके भाइयों ने तहसीलदार राजस्व

सादुलशहर की अदालत में धारा 183 बी आरटीए का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2013 को प्रस्तुत कर दिया वादीगण को जब इस तथ्य का पता लगा तो उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किये, परंतु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा विवादित जमीन ठेकानामे पर दी गई हो, इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है, ना ही तथाकथित इकरारनामा फर्जी व कूटरचित हो, के संबंध में कोई प्रमाण पेश किया गया है। प्रकरण में तथाकथित इकरारनामा अस्टाम्पित होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, द्वितीय शेराराम को गैरखातेदारी भूमि को अंतरण करने के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसे में गैरखातेदारी भूमि होने के कारण सम्पत्ति में गुरदयाल सिंह को हित प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार इकरारनरामा विनिर्दिष्ट अनुपालना का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। अतः वादीगण पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से विवाद्यक सं० 1 ता 3 अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा है तथा विवाद्यक सं० 1 ता 3 वादीगण के विरुद्ध तैय किए जाते हैं। प्रतिवादीगण पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से विवाद्यक सं० 4 अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहा है तथा विवाद्यक सं० 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक सं० 5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध तैय किया जाता है।

<u>विवाद्यक सं० 6</u>

18. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसके संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का तर्क रहा है कि विवादित भूमि की कीमत 7 लाख रुपए है, जो डी.एल.सी रेट के मुताबिक बाजार भावों में उसकी कीमत 25 लाख रुपए है। ऐसे में इस न्यायालय को सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, तो न्यायालय के विनम्र मत में प्रतिवादीगण का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वादी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालना का दावा पेश किया है, जिसमें कोर्ट फीस की गणना Amount of Consideration के आधार पर की जाती है। इस संबंध में धारा 40 राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट व सिविल Suit Valuation Act, 1961 में स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधान वर्णित किए गए हैं कि **Suits for specific performance**. In a suit for specific performance, whether with or at possession, fee shall be payable

(a) in the case of a contract of sale, computed on the amount of the consideration. लिहाजा उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरुद्ध तैय किया जाता है।

<u>विवाद्यक सं० 8</u>

19. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जिसके संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का यह तर्क रहा है कि विवादित सम्पत्ति की खातेदारी अधिकार प्रतिवादी सं० 1 ता 4 को सन् 1984 में प्रापत हो चुके थे, जबकि वादी द्वारा दावा

दिनांक 19.07.13 को पेश किया गया है। जिस इकरारनामा के आधार पर वादी दावा लेकर आया है वह कभी निष्पादित ही नहीं हुआ ऐसे में विवादित जमीन की सनद बनने की सूचना तमाम तथ्य झूठे हैं, जिसका कड़ा विरोध विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने किया तथा दौराने बहस तर्क दिया कि वादीगण द्वारा पटवारी हलका से जमांबंदी की नकल दिनांक 24.0613 को हासिल की, तब वादीगण को ज्ञान हुआ कि विवादित आराजी की सनद जारी हो चुकी है। उपरोक्त तथ्य की जानकारी के पश्चात् वादीगण, प्रतिवादीगण से मिले व बैयनामा उनके नाम रजिस्टर्ड करवाने हेतु निवेदन किया, उनके द्वारा आनाकानी करने पर प्रतिवादी सं० 1 ता 4 को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 25.06.2013 को भेजे गए, जोकि प्रतिवादीगण ने लेने से इंकार कर दिए। वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को भेजे गए तथाकथित रजिस्टर्ड नोटिस प्रदर्श 16 ता 19, रजिस्टर्ड नोटिस लिफाफा व रसीद क्रमशः प्रदर्श 21 व 28 न्यायालय के समक्ष पेश किए गए है, जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद मियाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नहीं है। लिहाजा उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरुद्व तैय किया जाता है।

20. जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत (1) Jugal kishore Garg Vs. Anand Srivastava & Ors. 2012(3) DNJ(Raj.) 1377, Aam Janta Gram Bhadliya Vs. State of Rajasthan & Ors. 2012(3) DNJ(Raj.) 1330 का संबंध है, तो न्यायालय के विनम्र मत में उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयां भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं।

21. जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत Biswanath Gohos(Dead) By LR's & Ors. Vs. Gobinda Ghosh @ Gobindha Chandra Ghosh & Ors. हस्तगत न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है, से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिसमें यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि Readiness and willingness Plaintiff sent the notice and asked to execute the sale deed Defendants did not execute the sale deed-Plaintiffs appellants were ready and willing to discharge their obligation and perform their part of agreement-Facts and events amounts to sufficient compliance of Sec. 16(c) of theRam Lal & Ors. vs Bajrang lal, Citataion 2012(3) DNJ (Raj.) 1460 Act. इस संबंध में भी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए हैं, यहाँ तक कि इकरारनरामे के निष्पादन भी वादीगण प्रमाणित करने में सफल रहा है, परंतु प्रकरण में इकरारनरामा अस्टाम्पित होने के कारण व गैरखातेदारी होने के कारण शेराराम को तथाकथित सम्पत्ति अंतरण करने का अधिकार नहीं रह जाने के कारण वादीगण को तथाकथित इकरारनरामा निष्पादित करवाए जाने के विधिक अधिकार ही नहीं रह जाते हैं। ऐसे में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत वादीगण को हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होने के कारण कोई मदद प्रदान नहीं

करते हैं।

22. इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Sheela Tulsyani(Smt.) & Anr. Vs. Major Hemant Singh Jamwal, 2010(3) DNJ(Raj.) 1205. से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, किंतु उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियां भिन्न होने से चस्पा नहीं होता है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौराने साक्ष्य तथाकथित इकरारनरामा पर प्रदर्श अंकन के संबंध में आपत्ति जाहिर की है।

23. जहां तक विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Janardhanam Prasad Vs. Ramdas 2007 DNj(S.C) 389, **Munavirunnisa Begum(Mst.)**& **Ors. Vs Mohd. Islam** & **Ors**. 2015(2) DNJ (Raj.) 774 एवं **Mander Singh** & **Ors. Vs. Smt. Tej kaur 2009(2) DNJ(Raj.) 1118**[Burden was upon the plaintiff to prove readiness and willingness–Held, Trial Court was justified in dismissing suit and awarding amount of agreement], **Lakshmi Sreenivasa Cooperative** Building Society Vs. Puvvada Rama(Dead) By LR's Ors. 2018 DNJ(SC) 905. **Kalawati(D) Through Lrs**. & **Ors. Vs. Rakesh Kumar** & **Ors**. 2018(2) CCC 221(SC). **Vijay Kumar** & **Ors. Vs. Om Parkash**, 2018 DNJ(SC) 1137. से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। हस्तगत प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होने से उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत चस्पा नहीं होते है, क्योंकि इस तरह की कोई परिस्थितियां ही उत्पन्न नहीं हुई है, जो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई मदद प्रदान करे।

विवाद्यक संख्याः– 7

अनुतोष ?

24. चूंकि प्रकरण में विवाद्यक संख्या 1 ता 3 वादीगण के विरुद्ध तैय किए गए हैं। प्रकरण में इकरारनरामा अस्टाम्पित होने के कारण व गैरखातेदारी होने के कारण शेराराम को तथाकथित सम्पत्ति अंतरण करने का अधिकार नहीं होने से वादीगण उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। निष्कर्षतः वाद वादी प्रीतम सिंह वगैरा विरूद्ध प्रतिवादी मोहनलाल वगैरा दावा बाबत् विनिर्दिष्ट अनुपालना इकरारनामा एवं शाश्वत् व्यादेश स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

– आदेश–

25. अतः वाद वादी प्रीतम सिंह वगैरा विरूद्ध प्रतिवादी मोहनलाल वगैरा दावा बाबत् विनिर्दिष्ट अनुपालना इकरारनामा एवं शाश्वत् व्यादेश अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। नियमानुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे।

(रेणु सिंगला)

26. निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेणु सिंगला)